उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।

(विधि शाखा)

अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–07/2022–23

सरकार

–बनाम–

मंगा उरॉव

आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –1320/अप0 शा0 दिनांक – 30.05.2020 के द्वारा वादी पु0 अ0 नि0 नीतीश कुमार पे0–श्री दिनेश प्रसाद सा0–लालसे विगहा थाना–हिलसा जिला–नालन्दा (बिहार) वर्त्तमान थाना प्रभारी कुरुमगढ़ के पद पर पदस्थापित के कम्प्यूटरकृत टंकित आवेदन के आधार पर कुरुमगढ़ थाना काण्ड सं0–01/2022 दिनांक–22.02.2022 धारा–414/34 भा0 द0 वि0 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–33 के तहत् अवैध रुप से अवैध लकड़ी के साथ पकड़े जाने के आरोप में जप्त पिकऑप वाहन रजि0 सं0 – JH01AD- 0592 के मालिक मंगा उरॉव पे0–स्व0 सुईया उरॉव सा0–ढौठा टोलीअरमई थाना–गुमला जिला–गुमला के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को अपना पक्ष न्यायालय में रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा सहायक लोक अभियोजक गुमला से वैधिक मंतव्य की मांग की गई।

भारतीय वन अधिनियम के बिहार अधिनियम 9/1990 का धारा–52 के उप धारा (3) के अनुसार अधिहरण वाद का सुनवाई करने का प्रावधान प्रमण्डल, वन प्रमण्डल पदाधिकारी को है।

अतः इस वाद में विधिक सुनवाई हेतु मूल न्यायालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी वन प्रमण्डल गुमला को हस्तांतरित किया जाता है।

इस आशय की सूचना पुलिस अधीक्षक गुमला/लोक अभियोजक, गुमला को भेजे। लेखापित एवं संशोधित

15.11.22

उपायुक्त,
गुमला

15.11.22

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2023.01.12 17:12:00 +05:30
Location: 192.168.5.111

Scanned with OKEN Scanner